हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 जनवरी, 1974 (द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

वीरवार, 17 जनवरी, 1974

	पृष्ठ संख्या
दी हरियाणा ऐप्रौप्रिएशन (नं ० 2) बिल, 1974	(13) 1
बहिर्गमन	(13) 12
दीं हरियाणा ऐ प्रोप्रिएशन (नं ० 2.) बिल, 1974 (पुनरारम्भ)	(13) 13
दी हरियाणा म्युनिसिपल कौमन लैंडज (रैगुलेशन) बिल, 1971 (जैसा कि राज्यपाल महोदय से पूनविचार के लिए वापिस आया)	(13) 20
दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1974	(13) 24
दी पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस माकिंट्स (हरियाणा अमैंडमैट) बिल, 1974	(13)26
दी पंजाब शूगरकेन (रंगुलेशन आफ परचेज एण्ड सप्लाई (हरियाणा अऐंमडऐंट, बिल, 1974	(13) 30
दी पंजाब जागीर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974	(13) 34

दी ईस्ट पंजाव वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट)

बिल 1974 (13) 36

दी पंजाव ग्रांम पचांयत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974 (13) 37

दी हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैट एण्ड इविक्शन)

अमैंडरैंट बिल, 1974 (13) 38

दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट)

बिल, 1974 (13) 41

दी हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल ऐजूकेशन (अमैंडमैंट)

बिल, 1974 (13) 42

दी पंजाब टाऊन इम्प्रुवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट)

बिल, 1974 (13) 43

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 जनवरी, 1974 (द्वितीय बैठक)

विधान समा को बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 1974

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल बधवा (करनाल) : स्पीकर साहब, यह एप्रोप्रिएशन बिल आज हाउस के सामने पेश हुआ है । इसके अन्दर 4 अरब, 49 करोड़, 11 हजार, और 876 रुपया खर्च करनेकी स्वीकृति सदन से मांगी गई है । स्पीकर साहब बजट पर बड़ी

तफसील से मैंबरों ने बहस की है । स्पीकर साहब सरकार ने बजट के अन्दर जो डिमांडज रखी हैं उनके अनुसार खर्च जाने को अनुमति मांगी है । मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस स्वीकृति मे, खर्च करने पर जितना भी ज्यादा बचत हो सकती है वह करने की कोशिश की जाए एक तो इस खर्च के अन्दर जो हवाई जहाज का खर्चा है

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) : वह खर्चा तो हो चुका है ।.

चौधरी राम लाल वधवा : हां अब तो वह दुगुनी कीमत में बिकेगा, लेकिन इसका खर्च छः इम्पोर्टिड कारों के बराबर है ।

Mr. Speaker : What has been dis7cussed should not be repeated.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Sir, I am giving new points.

Mr. Speaker : You first hear the provisions of the Rule. It reads—

"(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : This is an important Public Matter, Sir.

स्पीकर साहब, मैं तो इस खर्चे के ऐसपैक्टस बता रह हूं कि छः इम्पोर्टिड कारों के बराबर ही हवाई जहाज का खर्चा है । मैं तो यह चाहता. हूं कि इम्पोर्टिड कारों को चलना बन्द कर देना चाहिए । इसके साथ–साथ जो मैंने डिफिकल्टी की बात कहनी है, अगर फाइनैस मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इसको बता दें तो बड़ी कृपा होगी । इस हवाई जहाज की उडान लो लैवल पर होगी । हमारे चारों ओर मिल्टरी एरिया है । इस एरिया में तो बड़ी भारी एक्टीविटीज पैदा होंगी । क्या इस हवाई जहाज को उड़ान के समय एयरफोर्स की एक्टीविटीज बन्द हो जाएंगी । इसलिए मैं समझता हूं कि इस छोटी सी स्टेट के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जैसा कि अभी एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इसके भाव तो दुगुने हो गए हैं । मैं तो चाहता हूं कि इस को दुगुने भाव पर बेच दो तो अच्छा है ।

चौधरी बंसी लाल : जव यह हवाई जहाज पुराना हो जाएगा तो बेच देंगे ।

चौधरी राम साल वधवा : इसके साथ–साथ मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो खर्चा इस समय इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट पर, म्युनिसिपल कमेटी पर, अरबन अस्टेट पर, टाउन ऐंड कंट्री प्लानिग पर सरकार कर रही है, यह अलग–अलग खर्चा सरकार कर रही है । ये चारों ही महकमें यकसां हैं । तो मैं सरकार से यह कहूंगा कि इन चारों अदारो को इकट्ठा कर दिया जाए एक लैजिसलेशन ला करके । इस तरह से इनका खर्चा कम किया जा सकता है ।

इन सब का एक डिवैल्पमैंट बोर्ड बना दिया जाए । शहर के अन्दर एक ही जमीन के ऊपर इतने अदारे खडे कर दिए हैं जिन पर सरकार का बहुत ही खर्चा होताहै । उन अदारो के मैंबर हैं, स्टाफ है जिस पर बड़ा भारी खर्चा होता है 1 अगर सरकार डिवैल्पमैंट करना चाहती है और तेजी के साथ करना चाहती है तो एक बोर्ड बना देने से यह बात जल्दी अमल में आ सकती है । मैं स्वयं म्युनिसिपल कमेटी का इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का 1 4/15 साल मैंबर रहा हूं । मुझे वहां पर काम करने में प्रैस्टीकली डिफिकल्टी आई है । इधर इम्प्रूव– मैट ट्रस्ट वाले स्कीम बनाते हैं तो उधर म्युनिसिपल कमेटी वाले बनानी शुरू कर देते हैं और तीसरे साइड पर टाउन ऐंड कड़ी प्लानिंग वाले बनानी शुरू कर देते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि डिवैल्पमैंट के लिए कोई एक अदारे को रखें उसमें सरकार का खर्चा भी बच जाएगा और तेजी के साथ काम भी हो सकेगा । लोगों को भी इससे फायदा हो सकेगा ।

इसके साथ एक और चीज है जो बहुत मेन है वह करनाल में गन्ना मिल की तजवीज के बारे में है । गन्ना मिल की तजवीज काफी दिनों से सरकार के सामने है । सालों हो गए हैं, इसके हिस्से भ्री बिक चुके हैं । इसी सैशन में एक सवाल के जबाब में बताया गया था कि सरकार जल्दी गन्ने का मिल लगाने की कोशिश करेगी । मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि अव की बार तो यह पोजीशन हुई है कि हरियाणा मे जितना गन्ना पैदा हुआ उस गन्ने को जितनी हरियाणा में मिलें हैं वे पूरी

तरह से नहीं ले सकी । ऐसा सुनने में आया है कि आधा गन्ना भी वे मिलें नहीं उठा सकी हैं । तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि जितनी तेजी के साथ मिल बनेगा उतनी ही जल्दी हरियाणा को उन्नति और प्रगति होगी ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री की बिजली में कटौती करने से इंडस्ट्रियलिस्ट को तो नुक्सान हुआ ही है लेकिन जो सब से ज्यादा दुखी और पीड़ित हो रहे हैं दे बेचारे लेबर वर्करज हैं । आज बिजली इंडस्ट्रीज को न मिलने से वे बेकार होते जा रहे हैं । जैसा कि यहां पर हाउस में गुलाटी साहब ने भी कहा था कि ऐस्कार्ट कारखाने के अय्यर फरीदाबाद में हड़ताल कर रखी है । जहां–जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली में कटौती होने से इंडस्ट्री बन्द हो गई है उससे केवल इंडस्ट्रिलिस्ट की ही आमदनी बन्द नही हो गई है बल्कि वरकर्ज के लिए भी बड़ी समस्याएं खडी हो गई हैं और हमारी स्टेट के लिए एक खतरा वनकर हमारे सामने आ रहे हैं ।

मैं आपके जरिए अनुरोध करूंगा कि लेबर के बारे में भी अलग से कवायद बनाए जाएं और अलग से ही अदालतें बनाई जाएं क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट एक्ट अलग है, पेमैंट आफ वेजिज ऐक्ट अलग है, मिनीमम वेजिज ऐक्ट अलग है और वर्कमैन ऐड कम्पनसेशन ऐक्ट अलग है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट इस समय एक ही है ।

चौधरी राम लाल वधवा : मैंने तो यह कहा है कि ऐक्ट में प्रोविजन है । हर ऐक्ट के तहत सैप्रेट कोर्ट है । मैं ऐक्ट की बात कर रहा हूं । अरप पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें । स्पीकर साहब अलग–अलग चार–पांच अदालतें कायम कर रखी हैं जैसे पेमैंट आफ वेजिज के लिए अलग है, मिनिमम वेजिज के लिए अलग है, वह लेवर आफिसर को दे रखी है । अगर सब को एक कर दें तो गवर्नमैंट को काफी फायदा हो सकता है । हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एक ऐडिशनल सैशन जज के रंक का कोई कोर्ट बना दिया जाए जिसके अन्दर इन सारे ऐस्ट्स के केसिज आ जाएं । वर्करज को बड़ी तकलीफ होती है । किसी काम के लिए रोहतक जाना पड़ता है, किसी काम के लिए लेबर आफिसर के पास जाना पड़ता है या तो मूविंग कोर्टस हैं उनमे जाना पड़ता है इसलिए वर्करज को इन्साफ जब्दी से नहीं मिलता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक कोर्ट बना दिया जाए । एक तो सरकार का खर्चा बच जाएगा और लेबर को इन्साफ भी जल्दी मिल सकेगा और जो पैसा बचेगा उसको दूसरे कामों में लगाया जा सकेगा ।

स्पीकर साहब जैसा कि यहां कहागया है कि रोड्ज पर इस वर्ष उतना रुपया सरकार खर्च नहीं कर रही है और अगले वर्ष की जो योजना है उसमें खर्च नहीं करेगी । मैं एक बात जरूर कहूंगा कि खर्च के अन्दर मैंने देखा है कि कन्सट्रक्शन के लिए

सिर्फ एक करोड, 18 लाख, 50 हजर रुपए का प्रोविजन है यह बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि इसके लिए इतना कम रुपया रखा गया है और 27 लाख रुपया मेनटेनैन्स के लिए रखा गया है । इसकी तफसील बजट के पेज 97 वोल्यूम 2 के बन्दर दी हुई है । इस मशीनरी की मेनटेनैन्स के लिए 22 लाख रुपए का प्रोविजन है । स्पीकर साहब, यह हो बड़ा भारी जुल्म है. कि 1 करोड़ 18 लाख रुपया तो सारी कनैक्शन के लिए है, उसके साथ फिर 22 लाख रुपए की मशीनरी और 22 लाख रुपए की मेनटेनैन्स के लिए मांग रहे हैं । स्पीकर साहब, यह तो बहुत भारी खर्चा है । इसकी ओर इस मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए । इसके अलावा एक प्रार्थना मैं और करूंगा कि अगर वे नई सड़कें नहीं बनाना चाहते हैं तो न सही लेकिन जो ऐसी सड़कें गांव के अन्दर बनी हुई हैं जिन पर किसी के ऊपर पुली नहीं है, कहीं पर आधी फर्लांग का टुकड़ा रह रहा है या किसी के ऊपर तारकोल नहीं लगाया गया, इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर दे क्योंकि उनके मुकम्मल न होने के कारण इस समय तक जो खर्चा हो चुका है, वह सारे का सारा वेस्ट जा रहा है और उसका जनता को कोई लाभ नहीं है ।

स्पीकर साहब, पुलिस डिपार्टमैंट के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए के करीब के खर्चे की स्वीकृति सरकार हमारे से मांग रही है । यह बड़ा भारी खर्चा है । इसके अन्दर कम से कम जो स्टेट मिलिशीया या इसी तरीके का जो दूसरा खर्चा मांगा गया है, उसमें कमी करें । होम मिनिस्टर साहव ने स्वयं क्यैश्चन आवर के

अन्दर यह बताया है कि हरियाणा में पिछले साल के अन्दर 2, 527 चोरियां, 84 आर्सन केसिज और 216 कल के केसिज हुए हैं । इस छोटी सी स्टेट के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपया खर्च करना एक बहुत भारी खर्च है । इसके अन्दर कमी की जानी चाहिए । ज्यादा नहीं तो कम से कम जो नई बटालियन बनाने की तजवीज है, उसको फिलहाल रहने देना चाहिए और उसके लिए खर्चा नहीं करना चाहिए । आज जो हम ऐग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहते ह, उस पंसे को बचाकर ऐग्रीकल्चर पर खर्च करना चाहिए । इसके साथही मैं होम मिनिस्टर साहब से एक और प्रार्थना करूंगा ।

सिचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । ऐसी प्रथा रही है कि जो सम्मानित सदस्य बजट पर बोल लेता है यदि उसको फिर से एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने क्एरू लिए मौका दिया जाए तो रैपीटीशन होती है । बात तो वही होती है जो वह पहले कह चुका होता है । इस लिए मैं समझता हूं कि वही परम्परा या प्रथा कायम रखी जाए कि जो सम्मानित सदस्य बजट को जनरल डिस्कशन के समय बोल लेता है, उसको एप्रोप्रिएशन बिल पर टाईम न दिया जाए ।

I want to give time to those honourable Members who have not participated in the discussion on budget at any stage. But , if they are not willing what can I do ?

श्री अध्यक्ष : अगर दूसरे मैंबर बोलने के लिए खड़े ही न हों तो क्या किया जाए?

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, करनाल शहर में दो पुलिस स्टेशन हैं एक सदर पुलिस स्टेशन है और एक सिटी पुलिस–स्टेशन है । वहां पर एरिया इस किस्म का है कि अगर एक जगह पर कहीं कोई केस हो जाएतो यह फैसला ही नही हो पाता कि यह सदर पुलिस स्टेशन में जाए गा या सिटी पुलिस स्टेशन में । यदि आदमी का कोई केस हो जाता है तो सदर वाले कहते हैं कि सिटी पुलिस स्टेशन जाओ और सिटी पुलिस वाले कहते हैं कि सदर पुलिस स्टेशन जाओ । मेरी' अर्ज यह है कि इस एरिया को एड– मिनिड़ेटिवली नए सिरे से और ठीक ढंग से बांटा जाए ताकि वहां को जो एडमिनिस्टेशन है, वह ठीक ढंग से चले और यदि कोई केस हो जाए तो जनता को कोई तक्लीफ नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा मैं आपके द्वारा सरकार से एक और रिक्वैस्ट करूंगा । सेल्ज– टैक्स की कलैक्शन के लिए ऐक्साईज ऐंड टैक्शेसन डिपार्टमैंट बना हुआ है इसी तरीके से क्राईम को रोकने के लिए पुलिस फोर्स है । लेकिन होता क्या है? आधे से ज्यादा वक्त ये अकसर लोग चन्दा उगराहने में लगाते हैं । कहीं स्माल सेविंग हो रही है, कभी फिल्मी ऐक्टर आ रहे हैं तो कभी हाकी मंच हो रहा है । मेरे ख्याल से पिछले 4–5 महीनों में करनाल में अकसर और इंस्पैक्टर दुकानदारो के पास जाकर बीसियों बार चन्दा मांग चुके है । इसका बड़ा भारी नुक्सान होता है । इसको

एक नुक्सान तो यह होता है जब किसी से अफसरों ने चन्दे ले लिए तो जब वे पेशी के लिए जाते हैं तो उन्हें आम तौर पर थोड़ी बहुत लिहाज करनी पड़ती है । जो आपकी ऐडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है वह टैक्सो की वसूली के लिए बनी हुई है न कि लोगों के पास जाकर चन्दा मांगने के लिए । लोगों से इस तरह से अफसरों के द्वारो चन्दा मंगवाना सरकार के लिए कोई शोभा की बात नहीं है । इसमे टाईम भी जाया होता है ऐनर्जी भी जाया होती है और सरकार ने उन्हे जिस काम के लिए रखा हुआ है वह काम भी नहीं कर पाते । वह जो चन्दा लेने के अन्दर लगे रहते हैं यह स्टेट के खर्चे के ऊपर भी एक प्रकार का अन्याय करते हैं । अगर सरकार ने या इस डिपार्टमैंट ने ठीक तरीके से सेल्ज टैक्स वसूल करना है तो उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं । आप को पता है डिपाटेमैंट के ऊपर कुछ पैसा खर्च होता है. । मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इस चीज के बजाए कि दुकान– दार से एक–एक दो–दो– चार–चार या आठ–आठ पर्चियां चन्दे की कटवाए उनको चाहिए किवे सेल्ज टैक्स कुलैक्ट करने में लगे । जो प्रैजैन्ट सिस्टम है उसकी बजाए मेरा सुझाव यह है कि यह कर लिया जाए कि दुकानदार जो माल परचेज करता है उसके बीजक लेकर उस पर टैक्स ले लिया जाए । दुकानदार बेचारा पहले तो सेल का हिसाब–किताब रखे और फिर पेशियां भुगतता रहे इससे तो अच्छा यह होगा कि जो दुकानदार माल परचेज करता है उसके बीजक को देखकर यह टैक्स लगा लिया जाए । इससे एक तो सरकार को रियलाइजेशन

के खर्चे में भी बचत हो जाएगी और दूसरे लोग परेशानी से भी बच जाएंगे । (घंटी) स्पीकर साहब सिर्फ एक–दो प्यांयट ही और बोलूंगा । इनके अलावा मैं सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहूंगा । कुछ समय पहलेकुछ नए जिले बनाए गए । जो जिले . अलाहदा हुए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अब भी वही पैर है जहां पहले थी । एडमिनिस्ट्रेशन वहीं बैठी है जहां पहले हुआ करती थी । इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है । या तो उन जिलो को बनाना नहीं चाहिए था अब अगर उनको बना दिया गया हैऔर वहां पर बिल्डिंगें मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकी हैं तो किसी न किसी तरह से लोगों को इस मुश्किल से बचाना चाहिए नहीं तो वेचारे यूं ही भागते दौडते रहेंगे । एक और निवेदन मैं सरकार से करना चाहूंगा । सरकार को शराब की बिक्री से बहुत रैवेन्यू होता है । हमने दार–बार कहा दिरू शराब–बन्दी हो उसके लिए तो सरकार तैयार नजर नही आती लेकिन मैं सरकार से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इखलाकी तौर पर ही सही ऐसा प्रबन्ध कर दे कि शहरों में हर सड़क पर हर गली पर जो शराब की ' दुकानें खुली हुई हैं उनको शहर के एक तरफ किसी जगह पर कंसौलिडेट कर दिया जावे और जिसने लेनी हो वह वहां जाकर ले ले । अब तो यह होता है कि अगर आप सड़क या बाजार से गुजरते हुए चले जाएं तो आप देखेंगे कि लोग वहां पर खड़े हैं शराब ले रहे हैं और वहीं पर पीने लग रहे हैं । आप देखिए सडको पर इस प्रकार की बातें होती हैं । इससे तो अच्छा होगा कि शहर के एक तरफ कोई मार्कीट वगैरा बना दी जाए जहां पर जिस किसी ने लेनी हो

वह जाकर ले । इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा । . आपको पता ही है कि पैट्रोल की की कीमत बहुत बढ़ गई है । जो ऐस्सपैडीचर की बात है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना खर्चा तनख्वाहों का नहीं है जितना ज्यादा ट्रैवलिंग और आफिसीज का है । मुलाजिमों को सरकार अभी डी.ए. देने की तसल्ली दे रही है कब देगी या देगी भी या नहीं इसके बारे में सरकार कोई कन्क्रीट प्रोपोजल नहीं दे रही है । मैं यह कहूंगा कि मुलाजिमों को डी.ए. इस मद मैं बचत कर के ही दिया जाए । यह जो पंट्रोल का जीपों– कारों पर खर्चा है और यह जो इतने ज्यादा ट्रैवलिंग ऐक्सपैसिज हो रहे हैं और इस एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा सरकार खर्चा इसके लिए मांग रही है अगर वह यह खर्चा न करे तो डी.ए. दे सकती है सरकार यह कहती है कि हम सोशलिजम लाएंगे । कभी ये गरीबी हटाने की बात करते हैं । इनके कहे अनुसार बड़ी डिवैल्पमैंट हुई होगी ऐसा यह लोग कहते हैं. लेकिन जो आजकल चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों पर नजर डालें कि वे क्य हैं? जैसे पहले किए थे ठीक उसी प्रकार के गरीबी दूर करने के दावे ये फिर करते फिर रहे हैं । इन्होंने जो कुछ किया उसके परिणाम इनके सामने आ रहे हैं और जितने भी उप–चुनाव देश में हुए हैं, उन सब में कांग्रेस हारी है । इसीलिए मैं यह कहूंगा कि इस खर्चे के अम्बर बचत करें और जो गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं, उस पर अच्छी तरह से अमल करने की कोशिश करें वरना अन्जाम इनके सामने आ रहा है ।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : स्पीकर साहब, मैं हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल नम्बर 2 की डिमांड नंबर 320 इंडस्ट्रीज और डिमांड नंबर 321 विलेज और स्माल इंडस्ट्रीज पर अपने विचार रखना चाहता हूं । मैंने बजट पर बोलते हुए एक बात कही थी कि हरियाणा में 82 प्रतिशत आवादी देहातों में रहती है और देहात के भाइयों की बहबूदी कैं लिए जो पैसा रखा है उसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं । इस के साथ ही इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट भी बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा आवश्यक है देहात के चारों तरफ इंडस्ट्रीज का डिवैल्पमैंट । स्पीकर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहे है और देहात में अन्न–एम्पलायमैंट बढती जा रही है । सरकार को यह देखना है कि उस अनएम्पलायमैंट को कैसे दूर किया जाए । अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज प्रदेश में लगती हैं उनमें काम करने के लिए जो मजदूर, कारीगर आते हैं, मेरा जाति तजुरबा है, वे हरियाणा के देहात के नहीं होते । यहां के लोगों भें यह एक ट्रेडीशनल भावना है कि वे घर से टूर जाकर मजदूरी नहीं करते । इसलिए यह जरूरी है कि उन लोगों को एस्मलायमैंट देने के लिए देहात के नजदीक ही काम प्रोवाइड किया जाए । जिस वक्त सड़कों का काम जोरों पर चल रहा था उस वक्त हमारे देहातों की गरीब जनता को वहां पर काम मिलता था लेकिन जंसा कि आपको मालूम है कि कुछ आर्थिक कारणों से या और कुछ दूसरी वजूहात के कारण सड़कों का काम सुस्त हो गया । मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि उसने इस बजट में जनरल इंडस्ट्री के

लिए 39 लाख, 21 हजार 250 रुपया प्रोवाईड किया है और बिलेज ऐंड स्माल इंडस्ट्रीज के लिए एक करोड़ 28 लाख, 27 हजार 260 रुपया प्रोवाइड किया है । जनरल इंडस्ट्रीज और विलेज ऐंड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इतनी धनराशि रखकर सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है । मेरा सुझाव है कि सरकार को देहातों का एक सर्वे कराना चाहिए कि किस–किस देहात में कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेबर की जरूरत है, जिनको काम चाहिए, जिनको जमीन पर ऐकमोडेट नहीं किया जा सकता उनके लिए देहातों के नजदीक इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए । हमारे पास जो लोग आते हैं और वह चाहते हैं कि हरियाणा में इंडस्ट्री लगाएं उनको हमे मजबूर करना चाहिए कि वे उनको देहातों में लगाएं । सरकार अपने तौर पर भी अगर छोटी–छोटी इंडस्ट्री देहातों में डिवैल्प करे तो बहुत अच्छा रहे । मिसाल के तौर पर मैंएक चीज बतलाना चाहता हूं कि हिसार में देहली क्लाथ मिल वालों को एक टैक्सटाईल यूनिट है जो सूत बनाती है और वह हर तरह का सूत बनाती है । पिछले दिनों मैंने उस यूनिट के जनरल मैनेजर से भी बात की थी । आज उस यूनिट का नब्बे प्रतिशत प्रोडक्शन हरियाणा से बाहर जाता है । अगर हम ओवर आल देखें तो उस इंडस्ट्री का हरियाणा को कोई फायदा नहीं है । जिस बिजली की हमारे यहां कमी है वह बिजली हम उसको देते हैं लेकिन सेल्ज टैक्स तक हमको नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने अपना सेल्ज आफिस दिल्ली में रखा हुआ है । जहां तक एम्पलाएमैंट का ताल्कुक है हरियाणा के नाम मात्र के लोग वहां नौकरी करते हैं । अस्सी

प्रतिशत मजदूर जो काम करते हैं वे हरियाणा से बाहर के हैं और जो बाबू लोग हैं उसमें से 60 से 75 प्रतिशत हरियाणा से बाहर के हैं

Chaudhri Dal Singh : Is he discussing the Appropriation Bill ?

Mr. Speaker : On Appropriation Bill, one can raise discussion on policy matters and matters of public importance. He is speaking on industries.

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, उस इंडस्ट्री का फायदा तभी हो सकता है जब कि पास के देहात में काटेज इंडस्ट्रीज लगाकर उस सूत की इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दें । आज ऐन्ग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बहुत जरुरत है । जिस प्रकार से सोनीपत में साइकिल फैक्ट्री है । साईकिलो के लिए जो छोटे–छोटे पुर्जे चाहिएं उनके सिए पास के देहातों में गवर्नट मैट अपने लैवल पर छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज लगाए । उसके बाद जो देहात के गरीब बर्ग के, लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो अपने आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, जो अनएजुकेटिड हैं, अनएम्पलाएड हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और जब वे उस काम में ट्रेंड हो जाएं तो सरकार उनको लोन देकर को–आप्रेटिव बेसिज पर वह इंडस्ट्रीज उनके हवाले कर दे ताकि देहात के भाई देहात में रहकर ही अपने लिए एम्मलायमैंट हासिल कर सकें । आज अरबनाईजेशन जो बढती जा रही है उससे एडमिनिस्टेरशन की समस्या बढ्ती है इसलिए हमें देहातों को और ध्यान देना चाहिए ।

महात्मा गांधी तो कहा करते थे कि हमारी इकनोमी विलेज वेस्ड इकानोमी होनी चाहिए । आज तेल के कारण लोगों को कितनी परेशानी हो रही है लेकिन जो लोग देहातों में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है । अभी मैंने पिछले दिनों अखबार में पड़ा कि इंग्लैंड में तेल के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है । वहां पर उनके सारे काम ऑयल बेस्ड हैं । इसलिए उनको दिक्कत आ रही है । इसलिए आज यह जरूरी है कि हरियाणा के अन्दर प्रापर सर्वे कराया जाए और क्योंकि इमीजिएटली हमें सैंटर से इस काम के लिए रुपया मिलना है उस रुपए को देहातों में इंडस्ट्री लगाकर टाऊन्ज की इंडस्ट्रीज के साथ अटैच करें तारक्की शहरों की तरक्की हो सके, देहातों की डिवैल्पमैंट हो सके और देहात में रहने वाले भाइयों को रोजगार मिल सके। यही सुझाव मैं सरकार को देना चाहता था ।

लाला रुलिया राम (घरौंडा) : स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । बाबू गुलाब सिंह ने इंडस्ट्रीज की बाबत जो एक दो बातें कहीं हैं. वे बहुत अहम बातें हैं । आज हालत यह है कि तमाम इंडस्ट्रीज शहरों में लग रही हैं । देहातों के अन्दर जो गरीब लोग रहते है उनको न तो लोन मिलता हूं और न उनको इंडस्ट्रीज मिलती है । मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि दो–तीन देहात जैसे कोड और कालरों में गवर्नमैंट ने इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की और वे सरकार ने लगाई भी थीं । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि

इसी तरह सेज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज गावों के अन्दर लगाई जाए ताकि देहातों के अन्दर जो गरीब लोग रहते हैं, उनको रोजगार मिल सके । अगर देहात में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो लोगों को घर के घर मजदूरी मिल जाएगी। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह ज्यादा जोर देहात के अन्दर इंडस्ट्री लगाने पर दे।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं और यहां पर आई.पी.एम. साहब भी बैठे हैं, 1962– 63 के अम्बर एक जमुना कैनाल बोर्ड बना था जिसमें सैंटर के भी नुमड्दि थे । उस बोर्ड की तकरीबन हर साल मीटिंग होती है । सेटर की तरफ से एक स्कीम आई थी और वह स्कीम डिस्कस थी हुई थी । उस स्कीम में यह था कि कम से कम जमुनानगर से लेकर देहली तक जमुना के दोनों साईड पक्के कर दिए जाएं और जमुना से जो नदियां निकाली हैं उनके बजाय खाल निकाल दिए जाए वह स्कीम अभी क्य अधूरी पड़ी ढै. । मे अपने आई.पी.एम. साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपार उस स्कीम पर काम शुरु हो जाए तो हरियाणा के अन्दर बहुत अधिक पानी हो जाएगा । स्पीकर साहब मैं तो यही कहूंगा कि यह जो बोर्ड ने स्कीम बनाई थी, उसके ऊपर दोबारा गौर किया जाए और इस स्कीम को चालू करने की कोशिश की जाए, ताकि इस हरियाणा की जनता ष्ये पानी 'से फ।यदा हो सके । क्योंकि पानी की इस वक्त की तंगी है और इस वक्त हमें इधर उधर कहीं दूर–दूर से पानी को लाना पड़ता है । स्पीकर साहब, इससे आगे मैं कुछ एक बाते पुलिस के बारे कहना

चाहता हूं कि जनता के बहुत से. काम ऐसे हैं जो कि पुलिस के बगैर नहीं चल सकते । जहां पर गवर्नमैंट इस के ऊपर इतना. खर्च कर रही है, वहां यह भी प्रोविजन होना चाहिए कि हरेक थाने में जीपे हों, क्योंकि कई बदमाश लोग कत्ल करते है, डाके डालते हैं और भाग. जाते हैं, पकड़ने में पुलिस को कई दिक्कत होती. है क्योंकि एक–एक थाने के हल्के में 20–25 मील का एरिया होता है, बिना किसी की एक सर्विस के– पुलिस ऐ अपराधियो को पकड़ने में असमर्थ रहती है तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस ओर पूरी तवज्जो दे । ऐसा करने से लोगों में डर पैदा होगा कि पुलिस जल्दी ही हर आदमी को पकड़ सकती है, कत्ल भी कम होगे, डकैतियां भी कम होंगी । स्पीकर साहब, इससे आगे मैं यह कहूंगा कि स्टेट में जो लाइसैंस तकसीम जाते हैं, उनको तकसीम करते वक्त आदमी के चाल चलन का, उसके खानदान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि यह आदमी कही ऐसे खानदान का तो नहीं. है, जिसके लोग बस्ता वे में हों, बदमाश हों, क्योंकि ऐसे आदमियों को लाइसंस दिए जाते है जोकि बदमाश शराबें पीते हैं और फिर लडाई झगड़े करते हैं, इसी तरह से कत्ल भी हो जाते' हैं । तो मेरी सरकार से गुजारिश है कियह लाइसंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह आदमी जिसको लाइसंस दिया जा रहा है, उसका चालचलन तो ठीक हूए, उसकी फैमिली बैकग्राऊंड तो खराब नहीं हैं । और ऐसे आदमियों को यह लाइसैंस दिए जाएं जिन लोगोंकी सेफटी गवर्नमैंट जरुरी समझती हो। इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि थानों के अन्दर

आजकल काम बहुत बड़ गया है, लेकिन वहां पर नफरी बहुत थोड़ी . हैऔर वहां पर केवल 12/13 सिपाही होते हैं। मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता है कि एक हवालात में, थाने के अन्दर कोई मुलाजिम हो या नही, लेकिन एक सिपाही को कम – से कम 4 घंटें वहां पर डियूटी देनी पड़ती हूँ । और जब कोई पब्लिक का आदमी थाने में किसी काम केलिए जाता है तो वह कहते हैं कि हमारे पास नफरी बहुत कमं हैं, हम क्या कर सकते हैं । तो ' मेरी गुजारिश है कि थानों में नफरीं को बढ़ाया जाए ताकि पब्लिक को हर तरह का आराम रहे और थानों में पब्लिक की सुनवाई हो सके । स्पीकर साहब, एक छोटी सी अर्ज और आप से करना चाहता हूं कि हर जगहों पर जो पुलिस की थानो की बिल्डिंग्ज हैं, वे बहुंत ही पुरानी हैं, और वह ऐसी लगती हैं कि अभी गिर रही हैं तो इसलिए के कहूगा कि उन लोगों कों सेफटी के लिए ऐसी बिल्डिंगों को मुरम्मत फरवाई जाए और उनका अच्छे तरीके से रहने का इन्तजाम कर दिया जाएं । इसके साथ मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं जो कि मेरे जिले करनाल' के बारे में है, 'करनाल एक बहुत बड़ा जिला था, लेकिन अब तो उस में से दो तहसीलें निकल गई हैं 'थानेसर और कुरुक्षेत्र वगैरह । और करनाल एक ऐसी जगह है जहां पर लोग चारों तरफ से आते हैं । बहां पर सिविल हस्पताल की बिल्डिंग जो है वहइस कदर खराब हैं कि हो सकता है कि कभी भी गिर पड़े यहां पर मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में बात को थी और डायरैक्टर साहब से भी जिकर किया था । आप जरा वहां

पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि उस बिल्डिंग को क्या हालत है, क्या वह बैठने के लायक भी है कि नहीं । इस बारे में एक दफा एक स्कीम आई थी, सर्वे भी हुआ था कि यह जी पुरानी सिविल हस्पताल की बिल्डिंग है, उसको एक सैन्टर के रूप में बना दिया जाए और यहां पर ट्रेनिंग देने के लिए एक सैटर खोल दिया जाए और अलग जमीन एक्वायर करके बहां पर सिविल हस्पताल की नई बिल्डिंग बना दी जाए ताकि करनाल की जनता कही भलाई हो सके । जब डायरैक्टर साहब से मेरी इस बारे में बात हुई थी उन्होंने कहा ताकि मैंने इसका मौका भी देखा था और इस बारे में एक तजवीज भी सरकार को पेश को थी, लेकिन सरकार ने वह तजवीज मानी नहीं, कामयाब नहीं हुई । तो मैं आपके जरियें सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस स्कीम पर दोबारा गौर किया जाए और उस हस्पताल की जगह पर नए हस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए । स्पीकर साहब, इससे अगला प्वायट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहले हमारे जिले करनाल में चार तहसीलें थीं लेकिन अब करनाल औरदूसरी पानीपत तहसील रह गई हैं । पानीपत के बारे में तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि वहां की आबादी तो शायद करनाल से भी ज्यादा हो । अतः मेरी गुजारिश है कि कम से कम जिला करनाल के अन्दर एक गवर्नमैंट कालेज जरुर होना चाहिए । हम तो बिना कालेज के ही रह गए थानेसर वाले ले गए, हिसार वाले ले गए । रोहतक आप देख लो, हम से इस बारे में कितना आगे है, कोई जिला भी ऐसा नहीं होगा जहां पर पढाई के अच्छे प्रबन्ध न होंगे

लेकिन करनाल जिला ही एक ऐसा है, जहां पर इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं । इस लिए जब भी गवर्नमैंट की स्कीम बने, कम से कम जिला करनाल में एक गवर्नमैंट कालेज को प्रोविजन जरूर रख ली जाए । अभी–अभी स्पीकर साहब, यहां पर यह जिकर किया गया .है कि सारे रवैन्यू का सिस्टम उठाकर एक ही सिस्टम बना दिया है यह तो अच्छ हुआ है, लेकिन इसके साथ–साथ अगर प्रोफैशनल टैक्स की जो बीमारी है, उसे भी हटा दिया जाए तो बड़ी मेहरवानी होगी क्योंकि आदमी कहीं का कहीं चला जाता है और वसूली होने, नहीं पाती और यू ही .गवर्नमेंट का और खर्चा बढ़ जाता है इस प्रोफैशनल टैक्स को वसूल करने में । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए । स्पीकर साहब, इससे आगे मैं कुछ एक बातें रोड़वेज के बारे में भी कहना चाहूंगा । रोड़वेज तो हमारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शंक नहीं है लेकिन कई जगहोंपर दो तीन खराब बसे खडी रहती हैं, या तो इन बसों को नीलाम कर दिया जाए, या इनकी हालत की सुधारा जाए । दूसरी बात बस स्टैण्डज के बारे में है कि जहां–जहां पर बस स्टैण्डज की जरूरत है वहां पर बस स्टैण्डज बना दिए जाएं । मैंने घरौंडा के बस स्टैण्ड के बारे में कर्नल साहव से और अपने पी.टी.सी. साहब .से भी बात को थी तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए अभी तक सरकार ने मन्जूरी नहीं दी तो मेरी गुजारिश है कि या तो इसको सड़क से और दूर ले जाओ या फिर इसको बना दिया जाए । इन लफजों के साथ मैं

स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतराम दास बतरा ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो कई बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं पर

Mr. Speaker : Those honourable Members, who have not taken part at any stage of the discussion, will be given time.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, जैन साहब पहले बोल चुके हैं, वतरा साहब भी पहले बोल चुके हैं ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, हम तो बजट पर भी नहीं बोले, क्या हमें टाईम मिलेगा?

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा ।

मलिक सतराम दास बतरा (कलानौर) : स्पीकर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जमींदार देश की रीढ़ की हुड्डी है और यह थी डिसकस होता रह है कि जमीन थोडी है और जमीन कोई रबड़ नहीं है जोकि बढ़ सके । पिछले 10 सालों के आपको परिणाम नजर आते हैं कि पैदावार में हमारी क्या पोजीशन थी, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि जमीनों में सुधार लाया जाए तो कल का जो आने वाला टाईम तै, उस में हम आत्म निर्भर हो सकते हैं और जिस से हमारी पैदावार इतनी वढ सकती है कि हम

तामिलनाडु और केरल के मुकाबले में आ सकते हैं । जैसा कि राज्य की तरफ से ज्यादा पानी बढ़ाने को, अच्छे बीज देने की और अच्छी खाद देने को चेष्टा हो की है तो उसके साथ–साथ हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जमींदारों को शिक्षा देने का एक अभियान चलाया गया है । मैं अपने राज्य की तरफ से ऐग्रीकल्चर नैशनल कमीशन का एक मैंबर हूं । वहां सारे राज्यों की वातें सुनी जातीं हैं । तो हमने देखा कि तमिलनाडु की 5 किल्ले जमीन और हरियाणा की 25 किल्ले जमीन, इन दोनों की पैदावार बराबर गिनी जाती है । इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है वह शामलात जमीनों का सुधार करे । बहुत सी जमीनें गांवों में बेकार पड़ी है जिसमें खास कर वे हैं जो रिहैबलीटेशन डिपार्टमैंट ने गांवों में जब जमीनें अलाट कीं और उस वक्त कुछ टुकड़े बचे हुए रह गए जोकि अब भी बेकार तड़ है । इन में से कई ठुकडो पर तो किसी जमीदार का नाजायज कस्बा किया हुआ ह्वै और कुछ जमीने ऐसी हैं जो कन्सोलीडेशन के टाईम को बेकार पड़ी हुई हैं । कच्सोलीडेशन करते समय जो कतरे बचते गए उनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे किसी अर्थ नही लगे । शामलात लैंड जो है वह विलेज कामन लैंड एक्ट के मुताबिक पंचायतों के नामह औरवे जमीने भी ऐसी है वह मिनिस्टर साहब भी आ गए है । तो वे जमीनें ऐसी हैं जो सारे गांवों में फैली हुई है । कई तरफ तो शामलात जमीनें ऐसे बिखरी पड़ी हैं जिनको कि कंसौलीडेट करके एक खेत की शक्ल मै नही बनाया जा सकता । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां आप कमेटियों

को इतनी सुविधा दे रहे हैं, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए । यहां पर ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय बता रहे थे कि 9 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो इस टाईम भी रिकलेमेशन होना मांगती है । यह ठीक है हरियाणा में इस बात की बहुत तकलीफ है कि पानी कम है । वे जमीनें जो कल्लर पड़ी हुई हैं, क्हीं पर काला कल्चर है कहीं पर सफेद कल्लर थै ।

श्री अध्यक्ष : समय थोड़ा है इसलिए आप जल्दी खत्म करें ।

मलिक सतराम दास बतरा : अच्छा जी । तो अगर यह सुधार लाया जाए तो उससे बहुत फायदा हो सकता है । सैट्रल गवर्नमैंट की तरफ से जो एड मिलती है उस पैसे से इसका सुधार हो सकता है । अगर इन चीजों की तरफ ब्यान दिया जाए तो जो कल मसले आने वाले हैं उनको हम आज ही सुधार सकते हैं । रिकलेमेशन करने के लिए इतने फंड जुटाने की कोशिश हो रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि थोड़े पानी से अरप जमीनो को रिकलेम करने लगेगे सो वे नही होगी । इसलिए आपको यह काम वहां करना चाहिए जहां पानी ज्यादा हो । रोहतक और पानीपत के रास्ते में आप देखे कि वहा मीलो तक जमीन सफेद पड़ी हुई है । यदि उस जमीन को सुधारा जाण तो पैदावार में और इजाफा हो सकता है । हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये कि थोड़ी जमीनसे हम ज्यादा पैदावार लें । मैं समझता हूं कि मिनिस्टर महोदय

इसको जरूर सीख करेंगे । थोडी जमीन से हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं ।

बहिर्गमन

श्री अध्यक्ष : श्री गौरी शंकर ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, बात यह है कि मैंने कई दफा कोशिश की है कि मुझे बोलने का टाईम मिले...

Mr. Speaker Order please. He has not taken part in discussion on the Budget.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, जैन साहब और बत्तरा साहब दो–दो और तीन तीन दफा बोल चुके है और इन्होंने कोई रेलैवैन्ट बात नही की । अगर आपका यही ख्याल है तो मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं ।

Mr. Speaker : Order please. Resume your seat.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपका हुकम मानता हूं लेकिन इसमें डर। ने की क्या बात है । मैं तो वैसे ही वाक आउट कर रहा हूं ।

(इस समय चौधरी दल सिंह सदन से वाक आऊट कर गए ।)

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 1974 (पुनरारम्भ)

श्री गौरी शंकर (नरवाना) : अरनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे एक आनरेबल मैंबर ने चार–पांच रोज हुए फाजिल्का और अबोहर के मुताल्लिक बात कही थी कि हरियाणा को अबोहर और फाजिल्का नहीं मिलेगा । मुझे संमझ नहीं आता कि उन्होंने यह वात कैसे कह दी । यह हमारी प्रधान मन्त्री का एवार्ड है और जो एबार्ड उन्होंने दिया है उसकी इम्पलीमैटेशन में कही भी टालमटोल होने की जत नही हो सकती । दूसरे हमारे जो मुख्य मन्त्री हैं वे बहुत मजबूत आदमी हैं और हरियाणा का बच्चा–बच्चा उनके पीछे है । तो यह जो बात मेरे भाई ने वही वह गलत कही और सारा हाउस उसको कडैम करेगा । स्पीकर सहिब, हमारे यहां कुछ बड़े–बड़े धार्मिक ध्यान हैं, उनके पास जो जमीनै हैं देन की जो आमदनी है वह धार्मिक कारों पर खर्च होनी चाहिए । उन जभी.गें का बुरी तरह से इस्तेमाल होता है । चन्द आदमी उस जमीनो की आमदनी हडपते हैं और शराबें पीते है । मैं चाहता हूं कि करार इस तरफ और किया जाए तो इस जमीन की जो आमदनी है वह धर्म के कामों में लग सकती है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जैसे पंजाब में एक गुरुद्वारा बोर्ड वना हुआ है उसी तरह से यहां पर एक धमार्थ बोर्ड बनाया जाए जोकि ऐसे धार्मिक स्थानों की जमीनों से पैदावार करके और उसकी आमदनी से समाज सुधार में पैसा लगाए । इसलिए एक बार फिर मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाए । इसके अलावा हमारे हरियाणा मे जो गऊशालाए हैं उनका जो इंतजाम है

वह बहुत अच्छा नहीं है । उनमें सिर्फ लूली–लगडिया ही गाएं हैं, लगर उनमें अच्छी किस्म की गाएं पाली जाएं तो इससे हरियाणा के अन्दर दूध और घी का भी इजाफा होगा और साथ में नसल का भी सुधार होगा । तो मेरी सरकार से गुजारिश है किवह इस तरफ भी व्यान दे । इसके अलावा हमारे हरियाणा प्रांत में इस साल बाजरे की फसल बहुत सरप्लस है । हमारे यहां आज बाजरा 90 रुपए के भाव बिक रहा है जबकि दूसरे प्रांतों में यह 175 रुपए के भाव से बिक. रहा है । हरियाणा प्रांत ने कोशिश की कि इसको बाहर भेजा जाए, लेकिन अभी भी बहुत मिकदार में बाजरा हमारे प्रांत में पड़ा है । बाजरा ऐसी चीज है कि दो महीने के बाद यह खराब होना शुरू हो जाता है इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको बाहर भेजने का जल्द से जल्द प्रबन्ध किया जाण । आज हरियाणा में कई लाख टन बाजरा पड़ा हुआ है जिसका कि खराब होने का अन्देशा है इसलिए मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि इसको बाहर भेजने का इंतजाम किया जाए । हमारे प्रांत में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते है इसलिए हमें कृ षि में सबसे पहले सुधार करना चाहिए । इस सम्बन्धमें मैं 2–3 तजवीजें आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । एक तो हर ब्लाक में लैबोरेटरी होनी चाहिए जो कि इलाके को मिट्टी और पानी को चौक करे कि यहां किस किस्म की खाद की जरूरत है और यहां कौन सी फसल हो सकती जै । अब क्या होता है कि जिस जमीन में हमने चना बोना होता है वहां गेहूं दो देते हैं और जहां यूरिया डालना होता है वहां दूसरी खाद डाल देते हैं ।

इसलिए सरकार की तरफ से यह इंतजाम हो और सारे इलाके का सर्वे करवाने के बाद लोगों को बताया जाए कि फलां एरिया में फलां फसल अच्छी हो सकती है और फलां एरिया में फलां फसल हो सकती है और इसके साथ–साथ उनको यह भी बताया जाए कि अलहदा–अलहदा किस्म की जमीन में किस–किस किस्म की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए । अगर ऐसा करके किसानों को सहूलियत दी जाएं तो पैदावार अधिक हो सकती है और किसान नुक्सान से बच सकते हैं । इसके अलावा स्पीकर साहब मेरी अगली सुजैशन यह है कि हमारे यहां जो पहले ग्राम सेवक होते थे आजकल उनको पंचायत सैक्रेटरी का भी काम दे दिया गया है जिस का नतीजा यह हुआ है कि वह अब पंचायतों के काम की तरफ ही ज्यादा तवज्जो देते हैं और कृषि के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते । इसलिए मेरी यह सुजैशन है कि जैसे पहले अलग से ग्राम सेवक हुआ करते थे उसी तरह से इनको अब केवल कृषि के काम केलिए अलग रखा जाए और पंचायत सैकेटरी अलहदा लगाए जाएं । (घंटी) मैं स्पीकर साहब दो चार बातें कहने के बाद जलदी ही खत्म कर दूंगा । हमारे नरवाना के एरिया में ट्यूबवैल तो कामयाब नहीं हैं क्योंकि जमीन के नींचे पानी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बरवाला लिंक नहर जो खनौरी से ढाकल हैंड में गिरती है उससे हमारा एरिया को भी पानी दिया जाना चाहिए और इसके अलावा जो व्यास और रावी से पानी मिलना है उस में से भीं इस

एरिया को पानी दिया जाए । मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी ।

स्पीकर साहब, हमारा नरवाना का एरिया इडस्ट्री के लिहाज से भी बहुत पिछड़ा हुआ है । वहा के काफी लोग चाहते हैं कि इडस्ट्री लगाएं । मगर एक तो हमारे साथ जिला जींद जो है उसको आल इंडिया लेवल पर इंडस्ट्री के लिए सिलैक्ट किया गया है और इस प्रोग्राम के लिए उस के तीन ब्लाक्स लिए हैं, जींद ब्लाक, उचाना ब्लाक और जुलाना ब्लाक । इसमें हमारा नरवाना का इलाका फिर रह गया है । मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस में नरवाना तहसील का सारा एरिया शामिल किया जाए । और अगर सारा न हो सके तो नरवाना ब्लाक तो अवश्य बैकवर्ड एरिया लिया जाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग इडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं । इसके साथ–साथ मैं रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में भी प्रार्थना करना चाहता हूं । जो छोटी–छोटी इडस्ट्रीज हैं वह तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उन के आस पास एरिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री न लगाई जाए । इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि हर ब्लाक लेवल पर काफी बडी–बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाएं और वहां पर जो मशीनरी बने उस के छोटे–छोटे पुर्जों का जो काम हो वह छोटी इंडस्ट्री चलाने वालों को दिया जाए । ऐसा करने से स्माल स्केल इडस्ट्री पनप सकती है और लोगों को जो बेरोजगार का मसला थैं वह बहुत हद तक दूर हो सकता है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस

ओर विशेष ध्यान दिया जाए । अब मैं सड़कों के बारे में कुछ निवेदन करूंगा । एक नरवाना से टोहाना तक की पक्की सडके मंजूर हो कर कालवन .गांव तक बन चुकी है मगर कालवन से टोहाना तक तीन किलोमीटर का टुकड़ा ही कच्चा पड़ा है जिस की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग 20 मीन का चक्कर काटकर टोहाना पहुंच पाते हैं । इसलिए यदि यह थोड़ा स। सड़क का टुकड़ा जल्दी बना दिया जाए तो लोगों को आने जाने में वहुत सुविधा हो सकती है । दूसरी नरवाना से समेन रोड़ जो खरडवाल तक बन चुकी है महज दो किलोमीटर का टुकड़ा बाकी पक्का होने वाला है वह भी जल्दी बना दिया जाए और उस को बड़ी रोड के साथ मिला दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियात हो सके ।

अगली बात जिस की तरफ मैं सरकार..का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आज कल जो पढ़े लिखे लड़के हैं वह सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं और उन को जब नौकरी नहीं मिलती तो वे मायूस होते है क्योंकि उन के लिए कोई और काम करने के साधन नहीं हैं । तो मैं ऐसे शिक्षित वर्ग को कार्य देने के लिए स्पीकर साहब आप के द्वारा सरकार को सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हर सब–तहसील हैडक्वार्डर पर सैमीनार किए जाएं और वहां पर पढ़े लिखे लोगों को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की पूरी–पूरी जानकारी दी जाए और उस एरिया के पढ़े लिखे लड़कों को एक–एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें यह ज्ञान दिया

जाए कि किस–किस तरह कॉ इंडस्ट्री उस एरिया में कामयाब हो सकती है और वह कैसे लगाई जा सकती है ताकि वह अपनी रुचि अनुसार इंडस्ट्री की सिलैक्शन करके अपना काम चालू कर सकें । इससे बेरोजगारी का मसला भी हल होगा और हमारे सूबे में इंडस्ट्री का विकास ज्यादा पैमाने पर होगा । इसके बाद मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस बात को ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारा नरवाना के देहातों में कुओं का पानी खारा है जिस को वजह से लोगों को पीने के पानी की बड़ी भारी तकलीफ है । इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि नरवाना तहसील के देहातों में पीने का पानी देने का कार्य तेजी से किया जाए । इसके अलावा तहसील नरवाना में बिठमडा व दनौदा गांव दो बहुत बड़े–बड़े गांव हैं जिन की आबादी दस–दस हाजर के करीब हैं लेकिन न वहां पर कोई डिस्पैसरी है और न ही पशुओं के लिए कोई वैट्रीनरी डिस्पैसरी है । मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पर दोनों किस्म की डिस्पैसरीज खोली जानी चाहिएं ।

स्पीकर साहब एक दो सुझाव और देने के। बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा । हमारे हरियाणा प्रांत के अन्दर ह हजार पंचायतें हैं और हर पंचायत के पास तकरीबन 25– 25 एकड भूमि है और कई जो वड़ी–बड़ी पंचायतें हैं उन के पास 50 और 100 एकड़ भूमि भी है । इस भूमि से आजकल उन के पास कोई खास इन्कम नहीं आती कयोंकि लोगों ने जमीने दबाई हुई हैं । अगर उस जमीन को हम नीलम कर के बेचे तो कम से कम चार या

पांच हजार रुपए के हिसाब से फी एकड़ बिक सकती है और ऐसा करने से हर पंचायत के पास डेढ़–डेढ़ या दो–दो लाख रुपया आ जाएगा । इसमें से करार हर पंचायत एक–एक लाख रुपया फिकसड डिपाजिड में करवा दे तो उसे सालाना साढ़े सात परसैंट के हिसाब से सूद मिल सकता है और यह रकम जो उन को पहले जमीन– से आमदनी होती थी उस से कई गुना ज्यादा होगी जोकि वह अपने भल्लाई के कामों पर खर्च कर सकते हैं और दूसरी और सरकार के पास भी कई करोड़ रुपया जमा हो सकता है जो कि प्रांत में भलाई के कामों पर खर्च करके लाभ उठाया जा सकता है । इसलिए इस सुझाव पर सरकार को खास तौर पर विचार करना चाहिए । स्पीकर साहब अब आप चूंकि बार–बार इशारा कर रहे हैं इसलिए मे यहां पर ही अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं ।

वित्त मन्त्री (श्री रामसरन चन्द मित्तल) : माननीय स्पीकर साहब, बजट के ऊपर तीन चार रोज से काफी चर्चा चल रही है और आज भी कई माननीय सदस्यो ने बड़े अच्छे सुझाव रखे हैं । श्री गुताब सिंह जी का कहना है कि देहातों के अन्दर इडस्ट्री स्टार्ट की जाएं । मैं उन की इनफर्मेशन के लिए यहां पर बताना चाहता हूं कि सरकार ने देहोत्तों में इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए काफी लोन देने की स्कीमें बनाई हुई हैं और लोगों को टैक्नीकल नालेज देने के लिए बहुत से टैक्नीकन ट्रैनिंग इंस्टीटच्यूटस बनाए हुए हैं और यहां तक कि मोबाईल सैटर्ज भी बना रखे हैं जिन के जरिए गांव गाव में जाकर लोगों को ट्रैनिंग

दी जाती है । इसके अलावा हम सर्वे भी करवा रहे हैं कि कहां–कहां देहातों में कौन कौन सा टैक्नीकल काम चल सकता है और कौन–कौन सा प्रोफिटेबल है । लेकिन यह सारी बात डिपैड करती है लोगो के इस्तेमाल करने पर, जहां तक सरकार का ताल्लुक है उस की ओर से कोई कोताही नहीं है, रूरल एरियाज के लिए जितनी फैसिलिटीज दीं जा सकती हैं हम दे रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह बात है कि देहात के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह अपने हाथों से इंडस्ट्री स काम करना नहीं चाहते और वह प्वायट कालर जॉब चाहते है । वरना मैं समझता हूं आज. जितने मैट्रिक या हायर सैकेन्ड्री पास लोग हैं वह हाथ से काम करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें और जनता भी उस को डिग– निटी आफ लेबर के तौर पर हीट करें तो हमारा अनएम्पलायमैंट का सवाल भी हल हो सकता है और देहातों में इंडस्ट्री भी फैल सकती हैं । एक यह बात कही गई कि जो बड़ी–बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उन के अन्दर जो एन सिल्यरी वर्क हैं वह छोटी इंडस्ट्री के थरु करवाया जाए । सुझाव तो अच्छा है लेकिन इसमें दिक्कत यह है किं जो इंडस्ट्रीज पहले से चल रही हैं उनको कहना कि आप काम बन्द कर दो और छोटी इंडस्ट्री को वह काम दो तो यह मैं समझता हूं कि उनके काम में रुकावट डालने की बात होगी । लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आईन्दा जो इंडस्ट्री होगी उस के अन्दर इस बात का ध्यान रखा जाएगा । लाला रुलिया राम जी ने भी इंडस्ट्रीज के बारे में सुजैशन दी है । मैं इस के बारे में काफी विस्तार के साथ बता

चुका हूं, इसलिए और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । एक प्रोफैशनल टैक्स के बारे में कहा गया कि इसे हटा दिया जाए । मैं लाला रुलिया राम जी को कहूंगा कि अगर वह कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करते कि फलां टैक्स लगाना चाहिए तो मैं उसका स्वागत करता हूं । आज के जमाने में दह कहना कि फलां टैक्स अबॉलिश कर दो यह तो स्पीकर साहब कोई समझ मै आने वाली बात नहीं ।

15.00 बजे ।

जहां पर हवाई जहाज के बारे में भी कहा गया । पता नहीं –हवाई जहाज इनको क्यों खटकता है । मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन साहिबान को हवाई जहाज के अन्दर बिठाकर सैर करा दें (हंसी) ताकि आंयदा के लिए इनका मुंह बन्द हो जाए जव तक इनको सैर नहीं कराई जाएगी यह इनको खटकता ही जाएगा (विघन) फिर यहां पर कहा गया कि यह जो चार पांच बाडिज हैं, डिपार्टमैंट हैं जैसे टाऊन ऐड कन्ट्री प्लानिंग, अरबन एस्टेटस, इम्प्रूवमैंट ट्रस्टस, म्युनिसिपल कमेटीज वगैरा इनको इकट्ठा कर दिया जाए । देखने में तो यह बात सुन्दर लगती है लेकिन प्रैक्टीकली इस में बहुत सारी दिक्कतें हं जो टैक्नीकल भी हैं । टाऊन ऐंड कन्ट्री डिपार्टमैंट गवर्नमैंट का है और सारे प्रांत के लिए है और यह जो म्युनिसिपल कमेटीज वगैरा है यह लोकल बाडीज हैं जो उसी शहर के लिए होती हैजिनमें यह बनती है फिर यह सवाल भी आएगा कि यह जो कमेटिया हैं

लोकल बाडीज हैं यह डैमोक्रेटिक इस्टीच्यूशन्ज है इन पर सरकार ने कब्जा कर लिया और डैमोक्रेसी का खून कर दिया । मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कई दिक्कतें हैं बहुत सारी बातें इसमें इनवाल्व हैंऔर यह इतनी आसान जात नहीं हैं जितनी कि दिखती है । फिर भी मैं इनकी भावना की बतौर फाईनंस मिनिस्टर के कदर करता हूं । एक बात यह आई कि बिल्डिंगज और रोड्ज के लिए बहुत मशीनरी खरीदी जा रही है और उसकी मेनटेनंस पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है । मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा है कि हम खर्च में इकानोमी करने के लिए पूरे स्टैप्स उठाएंगे कि किफायत की जाए और खर्च में कमी की जाए । जहां तक सामान खरीदने कीबात है बिल्डिंगज और रोडज दो अलहिदा–अलहिदा शोहबे हैं और यह पैसा इन दलौं के लिए रखा हुआ है यह टो शब्द रकम इन दोनों को है । इसे जरूरत के मुताबिक खर्च किया जाएगा किफायत से खर्च किया जाएगा यह तो हाऊस से सैंकशन ली गई है खर्च जरूरत के मुताविक ही होगा । करनाल की पुलिस के बारे में भी कहा गया । मुझे पता नहीं लगता कि माननीय सदस्य को पुलिस से क्यों इतना खतरा है? मैं तो होम. मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह कम से कम चौधरी राम लाल जी जहां रहते है वह एरिया मालूम हो जाना चाहिए कि किस पुलिस सटेशन .में हैं ताकि आस पास अगर कोई जुर्म हो तो डिफिकल्टी न हो (हंसी–विध्न) – श्री गोरी शंकर जी ने धर्म स्थानों के बारे मे कहा है कि उनकर आमदनी अच्छे कामों पर खर्च होनी चाहिए ।

उनका विचार तो बहुत अच्छा है और मैं भी चाहता हूं कि धर्मस्थानों की आमदनी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन सरकार अगर इस मामला में पड़ेगी तो कई तरफ से यह आवाजें आएगी कि देखो सरकार ने लोगों के धार्मिक हकूक पर हमला किया है (विघन) और फिर यही लोग दूसरी आवाज यह निकालेगे कि सैकुलर सरकार होते हुएं धार्मिक बातों के अन्दर सरकार दखलअन्दाजी कर रही है । दरअसल ऐसे कामो में सरकार को नहीं डालना चाहिए पब्लिक को । ऐसी बात अपने हाथ में लेनी चाहिए और पब्लिक अपोनियन मजबूत होनी चाहिए जो इस वात का ध्यान रखे कि यह पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो अगर पब्लिक की तरके से यह डिमांड आएगी कि ऐसी लैजिंसलेशन पास होनी चाहिए तो सरकार उस पर गौर कर सकती है (चौधरी राम लाल वधवा की तरफ से विघन) सबसे पहले आप ही एजीटेशन करेंगें कि सरकार ने धर्म स्थानों पर कब्जा कर लिया है यहां पर गऊ शालाओं के बारे में भी जिकर आया । पहले हरेक समझता था कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गऊशाला को दिया जाए दुकानदार लोग तो अपनी आदमनी में से एक हिस्सा गऊशालाओं के लिए अलहिदा तौर पर रखते थे और पब्लिक के लोग भी कोई आटा कोई चारा और कोई रुपया पैसा इस काम के लिए 'देते 'थे और यह बात. बहुत अच्छी बात थी और पुरानी धार्मिक भावना से देते हैंऔर देते थे । यह ठीक है कि आजकल गऊशालाओ का इन्तजाम कई जगह. खराब है लेकिन यह काम पब्लिक को देखना चाहिए । सरकार ने जहां तक' मदद देने की

बात है काफी कोशिश की है और उन से कहा कि अच्छी अच्छी नसल को गऊएं लीजिए अच्छी नसल के सांड गवर्नमैंट से लीजिए और गऊशालाओ को डेरीज की शक्लके जाए बजाए इसके लंगडे लूले जानवर ही रखें जाएं । सरकार चाहती है कि उसके लिए जो कुछ मदद हो सकती है की जाए लेकिन गऊशालाओं का इन्तजाम सरकार अपने हाथ में ले ले यह ठीक बात' नहीं है । अगर मिसएप्रोप्रिएशन है तो उसका इन्तजाम पब्लिक। खुद करे और हरेक बात के लिए गवर्नमैंट 'की तरफ ही नही देखना चाहिए । फिर यह कहा गया कि ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि किसाने को मालूम हो कि उसे किस जमीन में कौन–सा कितना खाद डालना चाहिए, किस सीड को डालना चाहिए और कौन–सी फसल किस जमीन मैं काश्त की जाएं । अगर औप बजट को देखेंगे तो पता लगेगा कि गवर्नमैंट ने' इस तरफ पूरा ध्यान दिया है और एग्रीकल्चर को टाप प्रायरिटी दी है । सरकार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट सब–डिवीजनल हैडक्वार्टरर्ज पर लेबॉरेट्रीज बना रही है जहां गांवों के लोगों को 'मालूमात मिलेगी कि कौन–सी जमीन में कौन सी चीज पैदा हो सकती है । गवर्नमैंट भी और इस बारें मे जो कार्पोरेशन बनी है वह भी इस तरफ काफी ध्यानं दिए हुए है कि इनटैसिव कस्टीवेशन के लिए पैदावार बढाने के लिए जो– जो माडर्न बातें हो सकती हैं वह किसानों के पास पहुंचाई जाए, लेकिन यह सारे काम एक दिन में नही ही सकते हैं । हम किंसानो के लिए मेले लगाते हैं जिन में डमांस्टेरशनज की जाती है ताकि? किसान भाई उन बातों को

सीखें और अपनाए । ऐग्रीकन्लचर और इससे अलाइड बाते एनीमल हसबैडरी, इरीगेशन पावर, डेरीज और वाटर सप्लाई वगैरा के लिए सरकार ने टाप प्रायरिटी दीं हुई है । अब मैं अर्ज करता 'हूं कि जो–जो बाते कही ' गई हैं जो अच्छी है अच्छे सुंझावं 'हैं उन पर पूरा विचार किया जाएगा लेकिन इस वक्त फाईनैशियल कुमिटमैंट मैं कोई नहीं करता –(हंसी) – क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत है और अगर और खर्च बढ़ाऊगा तो जो भाई अब भी कह रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने ले लिए जब और मागूंगा तो फिर कहेंगे कि और पैसा ले लिया और अब टैक्स लगाएंगे । इसलिए 'मैं सदन से कहता हूं कि जितना पैसा मांगा है उसी की अब मन्जूरी दे दी जाए और यह बिल पास किया जाए ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Bill will be considered clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is— .

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

चौधरी दल सिंह (जींद) : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं

Mr. Speaker : The time for completing all stages of the Appropriation (No. 2) Bill was fixed by this House on the recommendations of the Business Adversory Committee. That time is over. So, the honourable Member should resume his seat.. (Interruption). The Business Advisory Committee recommended one hour for this purpose and it was adopted by the House. That is why, I allowed debate for one hour.

Chaudhri Dal Singh : This is my right to speak on this motion.

इसमें मेरा क्या कसूर है, तीन चार बार उठता रहा हूं ।

Mr. Speaker : This is the decision of the House.

चौधरी दल सिंह : चलो, जैसे आपकी मर्जी

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा म्यूनिसिपल कौमन लैंड्ज (रैगुलेशन) बिल, 1971 (जैसा कि राज्यपाल महोदय से पुनर्विचार के लिए वापस आया)

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971, as passed by the Haryana Vidhan Sabha, on the 6th October, 1972, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated the 13th December, 1973, from the President of India, conveyed by the Governor in his message dated the 26th December, 1973, with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat Deh lands which have been treated as evacuee property under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Central Act, 31 of 1950) or are of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971, as passed by the Haryana Vidhan Sabha, on the 6th October, 1972, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated 13th Dec., 1973, from the President of India, conveyed by the Governor in his message dated the 26th December, 1973, with a view to

excluding from the purview thereof those Shamlat Deh lands which have been treated as evacuee property under the Administration of Evacuee Property Act, 1950, (Central Act, 31 of 1950) or are of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Co mmon Lands (Regulation) Bill, 1971, as passed by the Haryana Vidhan Sabha, on the 6th October, 1972, be reconsidered in the light of the observations contained in the Directive dated 13th December, 1973, from the President of India, conveyed by the Governor in his message dated the 26th December, 1973, with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat Deh lands which have been treated as evacuee property under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Central Act, 31 of 1950) or are of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1

Mr. Speaker ; Question is—

That Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : There are three amendments from Shri Banarsi Dass Gupta, Irrigation and Power Minister, to this Clause, which will be deemed to have been read and moved. They are—

In sub-clause (g), in item (ii), insert the following words and figure at the end, namely:-

1. "or has been treated as evacuee property under the Administration of the Evacuee Property Act, 1950 (Central Act 31 of 1950) or is of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet been separated."

2. In sub-clause (d), for the words and figures "the Punjab Municipal Act,1911, and includes a notified area constituted under section 241 of the Punjab Municipal Act, 1911", substitute the words and figures "the Haryana Municipal Act, 1973, and includes a notified area constituted under section 258 or converted as such under section 259 or became notified area under section 280 of the Haryana Municipal Act, 1973.'

3. In sub-clause (e), for the words and figures "the Punjab Municipal Act, 1911, and includes a notified area Committee appointed under section 242 of the Punj ab Municipal Act, 1911", substitute the words and figures "the Haryana Municipal Act, 1973, and includes a notified area Committee appointed under section 260 of the Haryana Muncipal Act, 1973."

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (g} , in item (ii) insert the following words and figures at the end, namely:—

"or has been treated as evacuee property under the Administration of the Evacuee Property Act, 1950 (Central Act, 31 of 1950) or is of composite nature in which evacuee and non-evacuee shares have not yet teen separated."

'In sub-clause (d), for the words and figures "the Punjab Municipal Act, 1911, and includes a notified area constituted under section 241 of the Punjab Municipal Act, 1911," substitute the words and figures "the Haryana Municipal Act, 1973, and includes a notified area constituted under section 258 or converted as such under section 259 or became notified area under section 280 of the Haryana Municipal Act, 1973."

In sub-clause (e), for the words and figures "the Punjab Municipal Act, 1911, and includes a notified area Committee appointed under section 242 of the Punjab Municipal Act, 1911", substitute the words and figures "the Haryana Municipal Act, 1973, and includes a notified area Committee appointed under section 260 of the Haryana Municipal Act, 1973."

The motion was carried.

Mr, Speaker : Question is—

That Clause 2 as amended stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) ; Sir, I beg to move—

In clause 4, for the words "whatever in. the Shamlat Deh shall, on the appointed day, vest in the municipal committee" substitute the words "what ever in the Shamlat Deh in any municipality shall on the appointed day, vest in the municipal committee of that municipality,"

Mr. Speaker : Motion moved—

In clause 4, for the words "whatever in the Shamlat Deh shall, on the appointed day, vest in the municipal committee" substitute the words "whatever in the Shamlat Deh in any municipality shall, on the appointed day, vest in the municipal committee of that municipality."

Mr. Speaker : Question is—

In clause 4, for the words "whatever in the Shamlat Deh shall, on the appointed day, vest in the municipal committee" substitute the words "whatever in the Shamlat Deh in any municipality shall, on the appointed day, vest in the municipal committee of that municipality."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 as amended stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 5 to 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 5 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

In sub-clause (1) for the figure "1971" substitute the figure "1974"

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (1) for the figure "1971" substitute the figure "1974".

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (1) for the figure "1971" substitute the figure "1974".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That sub-clause (1) of Clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

In the enacting formula for the words "Twenty-Second Year" substitute the words "Twenty-fourth Year".

Mr. Speaker : Motion moved—

In the enacting formula for the words "Twenty-Second Year" , sub stitute the words "Twenty-fourth Year".

Mr. Speaker : Question is-

In the enacting formula for the words "Twenty-Second Year", substitute the word "Twenty-fourth Year".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula, as amended, be the

Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा जरनल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1974

Social. Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री गुलाब सिंहह जैन (हिसार) : स्पीकर साहब, हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स बिल हाउस के सामने है । इसके स्टेटमैट ऑफ ऑब्जैक्ट्स ऐड रीजन्ज में यह लिखा हँ कि :——

"In response to the representations made by the business community, Government have decided to give certain relief to remove their genuine difficulties. The proposed amendments are aimed at achieving this object."

स्पीकर साहब, मैं इसके लिए अपने ऐक्साइज ऐंड टैक्शेसन मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूं । व्यापारियों की मुश्किलात को देखते हुए, जिन्हें उन्होंने रिप्रैजैन्टेशन करके सरकार के सामने रखा, सरकार यह अमैंडमैंट बिल लाई है और उन डिफिकल्टीज को दूर करने को कोशिश की है । स्पीकर साहब, इस बिल के जरिए कपड़े के ऊपर टैक्स लगाया गया था जबकि यह टैक्स बाकी स्टेट्स में नहीं है लेकिन अब शड्यूल 'बी' की आईटम 14 में तबदीली करके और मई 1973 से पहले की जो पोजीशन थी उसी को लाकर सरकार ने कपड़ा व्यापारियों के ऊपर बड़ी. मेहरबानी की है । इसी तरह

से हलवाई टैक्स का भी झगड़ा चल रहा था । हलवाई एक छोटी सी जमात है । उन्हें भी टैक्स से मुस्तसना करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है । स्पीकर साहब, व्यापारियों का जो रिप्रैजैप्टेशन सरकार के सामने आया था और सरकार की तरफ से जो यह विश्वास दिलाया गया था कि जो बात ऐक्ट में अमैंडमैंट करने की होगी उसको कर दिया जाएगा उसके लिए तो यह अमैडिंग बिल आ गया है लेकिन व्यापारियों की जो बाकी तकालीफ थीं उनके बारे में यह कहा गया था कि उनको भी ऐग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज के द्वारा या रूल्ज में अमैंडमैंट करके दूर कर दिया जाएगा । मैं उम्मीद करता हूं कि कम सब की तरफ भी हमारे मन्त्री महोदय ने ध्यान दिया होगा और रूल्ज में अमैडमैंट करके उन सब तकालीफ को दूर करने की कोशिश की होगी । इन शब्दों के साथ भै व्यापारी कम्यूनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax(Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryanta General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडायूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट)

बिल, 1974

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब कृषि–उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1974, ए क और सशोधन के लिए हमारे सामने अ है । इसमें एक रुपए से डेढ रुपए सैकड़ा मार्किट फीस बहाने का

सुझाव है. इसके उद्देश्य और कारण में और बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि चूंकि पैसे की जरूरत है इ सलिए इस फीस को बढ़ाया जा रहा है । अभी अभी तो स्पीकर साहब व्यापारियों के ऊपर टैक्स कम करने की बात कही गई है लेकिन इस बिल के द्वारा किसानों के ऊपर इनडायरैक्ट टैक्स लगाने का प्रयत्न किया गया है क्योंकि जहां भी टैक्स लगेगा वह पहले तो किसान के ऊपर पड़ेगा और आगे चलकर खरीददार के ऊपर पड़ेगा उधर किसान के ऊपर बोझ और इधर खरीदने वाले के लिए महंगाई वाला संशोधन स्पीकर साहब, मुझे यह दिखाई देता है । फिर स्पीकर साहव, अभी कुछ वर्ष हुए यह फीस चालीस पैसे से बढ़ाकर सौ पैसे कॉ गई थी । इतने जल्दी ही इसे एक रुपए से बढ़ाकर डेढ़ रुपया करना जब कि पिछले साल ही किसानों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाए गए थे कोई वाजिब बात मुझे नहीं लगती । मैं इसका विरोध करता हूं और मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको एक रुपया ही रहने दिया जाए । इसके अलावा स्पीकर साहव, भै यह भी निवेदन कर दू कि मार्किट कमेटियां जो हैं वे कोई इलैक्टिड बॉडीज नही हैं, वे डैमोक्रेटिक भी नही हैं क्योंकि सरकार उनको नोमीनेट करती है और सरकार दूसरा नोमीनेट किए हुए लोग इस रुपए को खर्च करने के अधिकारी बनाए गए हैं, दूसरे मायने में सरकार ही इस सारे काम को चला रही है । तो यह तो मार्किट कमेटी का नाम लेकर एक और टैक्स का बोझ किसान के ऊपर डालने वाली बात है । स्पीकर साहब, सरकार को पहले तो इनका इलैक्शन करवाना चाहिए । उसके

बाद यदि इलैक्टिड रिप्रैजैन्टेटिवज इस तरह की मांग करें तभी इस तरह के टैक्स के बारे में सोचना या बताना उचित होगा वरना तो यह किसान और खरीददार दोनों के ऊपर एक और बोझ लादने वाली बात है । इसलिए मैं आपके द्वारा इन शब्दों के साथ विरोध करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले ।

चौधरी दल सिंह (जीद) : स्पीकर साहव वर्मा जी ने ठीक ही कहा है और मैं भी समक्षता हूं कि सरकार यह जो तरमीम लाई है, यह इसकी ऐटी किसान पालिसी को साफ जाहिर करती है । एक तरफ तो सरकार ने अभी दो मिनट पहले व्यापारियों को रियायत दी है, हमें उसमें दिक्कत नहीं है सरकार रियायत देना चाहती है, हमें कोई एतराज नहीं लेकिन दूसरी तरफ हाथ धोकर किसानों के पीछे पड़ी हुई है और धड़ाधड़ किसानों पर टैक्स लगा रही है ।

चौधरी शिव राम वर्मा जी ने कहा कि चालीस पैसे पहले फीस होती थी, फिर 100 पैसे कर दी थी यानी पहले से पांच गुणा और अब उसी फीस को यह सरकार 1. 50 पैसे करने जा रही है । मैं तो यह कहूंगा कि पहले यह मार्कीट फीस 20 पैसे होती थी अब इसको 1.50 पैसे करने जा रही है । यह पहले से पांच गुणा नहीं बल्कि 8 गुणा करने जा रहे है । किसान के साथ बडा 'जबरदस्त अन्याय और धक्का करने जा रही है । चारों तरफ से किसान को दबाया जा रहां है । यहां पर तों सरकार किसान

की बडी हमदर्द बनती है । आपको यह याद रखना चाहिए और मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यह वात चलने वाली नही है चाहे यह किसान के साथ कितनी ही जबरदस्ती करते रहें ।

स्पीकर साहब दस अमैंडिंग बिल के अमैडिंग एंड रीजन्ज में लिखा हूं कि मार्किट कमेटियां किसानों के लिए सड़कें बनाएगी, पैदावार को. गोदामों में रखने का प्रबन्ध करेगी और दूसरी सुविधाएं देगी ।. मैं हाउस को यह बहाना चाहता हूं कि जींद की मार्कीट कमेटी से 25 हजार रुपया प्राइवेट आयुवेदिक कालेज के लिए लिया है । यह बिल्कुल नाजायज है और कमेटी के फन्डज में से यह रुपया नहीं लिया जाना चाहिए । क्या यह रुपया किसानो के हित के लिए लिया गया है? यहां पर कहा जाता है कि सड़को के लिए यह रुपया इकट्ठा किया जाएगा । मैं तो यह कहूंगा कि सरकार बड़े गलत ढंग से मार्किट कमेटी के रुपए खर्च कर रही है । यह सरकार की ऐटी किसान पालिसी है ।

चौधरो धजा राम : 25 हजार रुपया जो मार्किट कमेटी जींद ने दिया है, उसके बारे में कहकर तो ये मेरे ख्याल में हाउस का टाईम ही खराब कर रहे हैं

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब बड़े अफसोस की बात बै, यह बड़े काबिल बनते हैं । ये कुछ पढ़ते नहीं, किसी चीज का पता नहीं । इनको तो यहां पर पढा कर भेज दिया जाता है कि

वहां यह कह दो । न इनको कुछ बजट का पता है, न किसी और चीज का पता है वैसे ही बोलते जाते हैं ।

Mr. Speaker : Order please.

Chaudhri Dal Singh : Nothing against him. Since he has interrupted मैं इस विल पर ही अर्ज कर रहा हूं लेकिन इन्होंने मुझे बीच में इन्टरप्ट किया था इसलिए.....

Mr. Speaker : Please confine yourself to the matter under discussion.

चौधरी दलीसंह : स्पीकर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार की पालिसी बिलकुल ऐंटी किसान पालिसी है । यह जो अमैंडमैंट सरकार लाई है यह बिल्कुल किसान के खिलाफ है । मैं इस बिल का डटकर विरोध करता हूं । सरकार के हित में यही हूँ कि इसको वापिस ले ले और अपनी भूल का सुधार करे।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर) : स्पीकर साहब आज यह जो बिल हाउस के सामने पेश हुआ है यह बड़ा अच्छा बिल है । चौधरी शिव राम वर्मा जी ने तो मजाक को

बात की है, केवल एक विरोध को बात की है । अगर वे इसके स्टेटमैंट आफ अब्जैक्ट एंड. रीजन्ज देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि किसान की भलाई में है । आज हम एक तरफ तो काश्तकार को बिजली दे रहे हैं । कारखानों को बिजली न देकर काश्तकार को दे रहे हैं । काश्तकार के प्रति सरकार का

क्या नजरिया है यह अभी जो पीछे बहस हुई है उससे साफ हो चूरका है । जहां भी शहरों में माकीट कमेटी बनी है वे उनके लिए सउको की फैसिलिटी देंगी, उनकी कृषि उपजों को गोदामों में रखने को व्यवस्था करेगी, 'और दूसरी उनको सुविधाएं देगी । आज हर चीज की कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन बढ़ती जा रही हैं । बीस पैसे से चालीस पैसे करना और फिर एक रुपया करना यह कोई ज्यादा नहीं था क्योंकि आज रुपए की बहुत कम कीमत हो गई है । यह जो डेढ रुपया करने जा रहे हैं यह ठीक ही है काश्तन्हारो को सहुलियते देने के लिए अगर यह 150 पैसे करने से उनको कोई परेशानी नहीं होगी केवल विरोध करने की गर्ज से इतनी लम्बी चौड़ी तकरीर करने का कोई लाभ नहीं । यह बिल बिल्कुल सही काश्तकर के हक में है । जितना ज्यादा पैसा पैदा किया जायेगा उतना ही ज्यादा उनकी भलाई के के लिए खर्च किया जाएगा उनको ज्यादा सहूलियतें मिलेगी मैं इस बिल की हिमायत करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए ।

कषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय चौधरी दल सिंह जी ने और चौधरी शिव राम वर्मा जी ने या तो इस बिल को पढ़ा ही नहीं या समझने की कोशिश नहीं की या इनकी समझ में नहीं आया तीनो मे से एक बात जरूर हूँ । इस बिल मैं जो हम अमैंडमैंट करने जा रहे हैं उसका मन्शा यह नहीं है कि किसान पर टैक्स लगे । यह टैक्स तो उस पर पड़ेगा जो

माल को परचेज करेगा यानी खरीद करेगा उसपर लगेगा पर तो नहीं पड़ेगा

दूसरे मैंबर साहिबान की और जनता की यह हर समय डिमांड रहती है कि हमारी सडक बनवा दो, बिजली लगवा दो नहर की माइनर की डिमांड कहते हैं अगर हम ये टैक्स न लगाएं तो फिर ये डिमांड कैसे पूरी होंगी और कैसे यह सारे डिवैल्पमैंट के काम होंगे ।

तीसरी बात यह है कि पंजाव को अन्दर भी मार्किट फीस एक रुपया पचास पैसे है । हमने तो इसको पंजाब के बराबर ही किया है कोई ज्यादा करने वाली बात नहीं है । इसमें यह बात भी नहीं है कि यह टैक्स अभी सरकार लगाएगी जिस वक्त सरकार उचित समझेगी उस समय इसको लागू करेगी । हम जितनी भी मार्किट फीस लेते हैं वह सारी व्यापारियों से लेते हैं किसान से नहीं लेते हैं ओर उसमें से 90 प्रतिशत किसान की बहबूदी के लिए खर्चा करते हैं । मैं इन शब्दो के साथ आपके द्वारा हाउस से अर्ज करूंगा कि यह किसानो के हित का दिल है और इस बिल को पास किया जाए ।

Mr. Speaker Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 and 1, Enacting Formula and The Title

Mr. Speaker : Question is-

That clauses 2 and 1 , the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब शूगरकेन (रैगुलेशन आफ परचेज एंड सप्लाई)

हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I

beg to introduce the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana

Amendment Bill taken into consideration at once,

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी तक यही समझता था कि इस सदन में दो ही वजीर अंग्रेज हैं परन्तु जो मंत्री महोदय हिन्दी में बोलने वाले थे उन्होंने भी आज अंग्रेजी में बोलना आरम्भ कर दिया बै । मैं हरियाणा के लिए यह दुर्भाग्य की बात समक्षता हूं ।

अभी मन्त्री महोदय ने पहले विल पर बोलते हुए उसकी हिमायत में यह कहा कि पंजाब के बराबर ही हम कर रहे है । तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पंजाब के बराबर बिजली के रेट्स भी करने जा रहे हैं । कौन–कौन सी बातें वे पंजाब के बरावर करने जा रहे हैं? वे अपनी जगह हैं और हम अपनी जगह हैं । पंजाब के उदाहरण देकर ये टैक्स बढ़ाने की बातें करते है और यहां पर ऐलान करते हैं कि पंजाब वालों ने भी

यह कर दिया है इसलिए हमने भी यह कर दिया है । आज पंजाब वालों की बात करते है तो जो वे करते है वे आप भी सभी बाते करते चलो । लेकिन यही तो क्या होता सै जो अपने मतलब की बात है वह तो पंजाब की तरह से कर लो और यहां कहा जाता है कि हम उनके साथ ही चल रहे हैं । जो बात इनके खिलाफ हो तो कहा जॉता है कि हरियाणा का काम अलग है । तो मैं यह अज करुंगा कि इनको ये बात कहते हुए सोचना चाहिए । यह जो पंजाब गन्ना हरियाणा संशोधन विधेयक लाए हैं इसमें पहले तीन आने मन बिक्री पर लगता था और उस हिसाब से यह आठ आने ?? के हिसाब से भी कम बनता था लेकिन अब जो संशोधन आया है वह 1 रुपया 50 पैसे क्विंटल का आया है । मै तो यह समझता हूं कि यह तो तीन गुने से भी ज्यादा हो गया । ऐसा करके हरियाणा की जनता के साथ ज्यादती की जा रही है । इसके उद्देश्यो और कारणों के अन्दर बताया गया है कि क्योकि गन्ना अधिक पैदा होने लग गया है इसलिए खर्चा बढ़ गया है । यह कौन सा हिसाब है, किस ने लगाया अगर गला ज्यादा बढा है तो क्विटल के भाव से टैक्स भी ज्यादा बढ़ गया है । मैं तो यह समझता हूं कि यह हिसाब मनमाना लगाया गया है । यह कहां क्रूा न्याय है । आपके द्वारा मैं मिनिस्टर महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि वे ऐसे ही अन्धाधुन्ध कोई हिसाब करके, या बिना हिसाव लगाए ही इस टैक्स को थोप रहे है । टैक्स तो अपने आप ही बढ जाता है जब पैदावार बढ़ी है । इस बिल को लाने की आवश्यकता ही नही थी । जहां गला बढा है वहां पर टैक्स भी तो

तीनगुना ज्यादा बडा है । मैं तो फिर यही कहूंगा कि सरकार कुछ भी दलीलें दे, उसका किसान पर बोझा पड़ता है क्योंकि मिल वाले गन्ने का भाव कम करने की कोशिश करते है और उससे किसान को कम पैसा मिलेगा अगर वे इस टैक्स को देते हैं तो खांड को मंहगी बेचेंगे फिर सभी खाने वालों पर बोझा बढ़ गया पंडित चिरंजी लाल जी को तो कन्ट्रोल रेट से चीनी पहुंच जाती है दूसरी आम जनता मारी जाती है जिसको पांच रुपए किलो दे हिसाब से खांड खरीदनी पड़ती है पंडित जी को सिविल सप्लाई के मिनिस्टर साहब भिजवा देंगे शायद उनकी माफत इनका काम चल जाएगा ।

स्पीकर साहब, यह जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यह जनता के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ है । मैं ऐसा समझते हुए कि यह किसान के लिए नुकसानदेह है क्योकि इससे किसान के ऊपर बोझ बढ़ेगा, उसकी गन्ने का भाव कम मिलेगा, मिल–मालिकों को गन्ना मंहगा पड़ने की वजह से खांड के भाव बढेंगे जिसकी वजह से खपत करने वाले आदमी पर भी बोझ बढ़ेगा । मैं इसकी मुखालिफत करता हूं । यह जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, यह पहले से तीन गुना नहीं बल्कि अगर हम इसको सही तरीके से पैदावार के हिसाब से देखें तो पांच– छः गुना के लगभग बैठता है । इस सरकार ने जो घाटे का बजट पास किया है, उसको इस तरीके से उल्टे–सीधे टैक्स लगाकर आज से ही पूरा करने का प्रयत्न करना शुरूरू कर दिया है. मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करुंगा कि वे

इस टैक्स को वापिस ले लें और इस विल पर पुनर्विचार करें जनता को राहत देने की बजाए ऐसा न करें कि उसकी और ज्यादा तकलीफ बढे मैं इस टैक्स बिल का जो सदन के सम्मुख आया है, विरोध करता हूं और सदन से यह आशा करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार नही करेगा ।

चौधरी दल सिंह (जींद) : स्पीकर साहव, एक किसान होने के नाते मैंने भी बही बात कहनी है जो अभी वर्मा जी ने कही है । हमारे हरियाणा के अन्दर 85/86 परसैट किसान. लोग रहते हैं । उनके हकों की रक्षा के लिए हमारा यहां बोलना बहुत जरुरी है । हमारा यह फर्ज है कि जिस काम के लिए लोगों ने हमें यहां भेजा है हम वह काम करें और अपनी बात सरकार के नोटिस में लाएं यह सरकार की मर्जी है कि अगर वह उसे ठीक समझती. है तो मान ले और अगर ठीक नहीं समझती तो न माने अगर सही बात भी न माने तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं । यह जो गन्ने की खरीद के ऊपर टैक्स बढाने के लिए सरकार ने विल पेश किया है, मैं उसकी मुखालफित करता हूं इसके पीछे कारण छैं जिस समझदारी से इन्होंने यह बिल पेश किया है उसे देखकर मैं तो वड़ा हैरान हूं । चौधरी भजनलाल जी से मुझे ऐसी आशा नही थी । अगर कोई महाजन भाई ऐसी सरझ– दारी की बात करता है तो मुझे कोई हैरानी न होती । इन्होंन विल के अन्दर एक जगह तो ''पौन्ड'' का लफ्ज लिख दिया और एक जगह पर ''क्विटल' ' का लफ्ज लिख दिया ताकि आम आदमी इसे पढ़कर कुछ भी न

समझ सके यह जो बिल ढै उसके अनु– सार पहले जो परचेज टैक्स साढ़े सात आने क्विटल के हिसाब से लगता था अब 150 पैसे यानी 24 आने प्रति क्विटल के हिसाब से लगा करेगा । यह टैक्स तकरीबन तीन गुना बड़ रहा है । शायद हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी स्टेट ने इस तरह से टैक्स नही वढाया होगा जिस तरह से हमारी यह सरकार बड़ा रही है । यह तो एक बहुत वड़ी ज्यादती है । वजीर साहब ने पहले विल पर भी यह कह दिया कि यह तो किसानों के ऊपर नहीं पड़ता मैं यह समझता हूं कि जो साहूकार है, वह बड़ा समझदार होता है । जब भी वह कोई चीज खरीदता है तो वह बाजार में अपने फायदे को ध्यान में रखकर खरीदता है । वह जव गन्ना खरीदेगा तो इस टैक्स को ध्यान मै रखेगा वह इतना पागल नही कि ऐसे टक्सो को ध्यान में रखे वगैर गन्ना खरीदता रहे इस टैक्स लगाने से एक चीज अरि होगी । यह सरकार कुछ अर्से के बाद साहूकार को यह छूट देगी दि वह अपनी शुगर की कीमत बढ़ा सकता है । तव सरकार यह कहेगी कि क्येंकि परचेज टैक्स बढ़ गया हे और खांडू मंहगी पड़ती है, इसलिए उसका भाव बढाया गया है । इस तरीके से उन लोगों को इनडायरैक्टली प्रोटैक्शन देने का तरीका है । मैं सरकार का इस ऐंटी–पीपल पालिसी को कन्डैम करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सरकार की यह पालिसी हरियाणा के लोगों के लिए घातक है । मैं इसका विरोध करता हूं

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह और चौधरी शिव राम वर्मा, दोनों ने ऐसी बातें कहीं है जैसे कि वे ही किसानों के ठेकेदार हों । किसानो के हमदर्द हम इनसे ज्यादा हैं । हम इस बात को इनसे बेहतर समझते है कि इस चीज से किसान पर बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आप देखिए इस विल का जो नाम है वह पर– चेज टैक्स है परचेज का मतलब सब जानते है कि खरीदने वाला यह टैक्स खरीदने वाले के जिम्मे है, बेचने वाले के ऊपर लगाने का तो इसमें सवाल ही नहीं है हमारी स्टेट के अन्दर आपको पता ही है दो तो सरकारी मिलें हैं यानी को–ऑप्रेटिव सैक्टर में और एक मिल प्राइवेट सैक्टर मे है यह मिले जो गल परचेज करेंगी, उस पर हम उनसे परचेज टैक्स की शक्ल में यह टैक्स लेंगे । इसमें यह नहीं दिया हुआ कि हम अभी यह टैक्स लगा रहे है, इसके लिए तो हम हाउस से यह चाहते हैं कि वह हमें यह अख्तियार दे दें कि अगर सरकार जनता के हित में जब चाहे यह टैक्स डेढ रुपए प्रति क्विंटल तक लगा सके आपको पता ही है कि जहां पर स्टेट के अन्दर इतने बड़े डिवैल्प– मैट के काम हो रहे हों, बहा पर पैसे की भी आवश्यकता होती है किसान यह चाहता है कि हर गांव को सड़क और बिजली. मिले हम उसको पूरी सुविधा देने की कोशिश करते है । जो यह टैक्स लगता है, यह किसान पर तो लगता नहीं है, यह तो मिल वालों पर लगता है और सारे का सारा यह पैसा उसी' एरिया में सड़कें आदि बनाने पर खर्च करते है ताकि किसान को गन्ना लाने मे सुविधा हो एक बात चौधरी शिव राम वर्मा जी ने यह

कह दी कि हमें पंजाब के बराबर बिजली का भी रेट करना चाहिए मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पंजाव वाले तो हमारे बरावर रेट करने जा रहे है बिजली के सम्बन्ध में उन्होंने यह भी कहा कि फ्लैट रेट होना चाहिए । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि बिजली का फ्लैट रेट हमारी स्टेट में ठीक तरह से चल नही सकता क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे है जहां पर पानी बहुत गहरा है कई इलाके ऐसे भी है जहां पर पानी कम गहरा है, ट्यूबवैल आसानी से लग जाते है और सिर्फ 3– 4 इंच पाईप लगती हूँ यह चीज पंजाब में कुछ हद तक कामयाब है लेकिन हमारे यहां यह कामयाब नहीं हो सकती ऐसा करना एक बड़ी घाटे को बात रहेगी । इन शव्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो शूगरकेन पर परचेज टैक्स बढ़ाने की बात है, यह किसान के हित में है, इसलिए मैं आपके द्वारा हाउस से प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पास कर दिया जाए

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 and 1

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Chaudhri Bhajan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amend. ment Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amend. ment Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब जागीर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lai Sharma) Sir, I beg to introduce the Punjab Jagirs (Haryana Admendment) Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bil**l be taken into consideration at once.**

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 8

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Pandit Chiranji Lai Sharma : Sir , I beg to move—

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Jagirs (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी ईस्ट पंजाब वार अवाडर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Sir, I beg to intro duce the East Punjab War Awards(Haryana Amendment) Bill, 1974.

I also beg to move—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That elauses 2 to 4 st and part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I beg to move—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Fast Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Development Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried .

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Col. Maha Singh : Sir, I beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैंट एण्ड इविक्शन) अमैंडमैंट बिल, 1974

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass

Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब यह बिल 1973 में इस हाउस में पास किया गया था और आज 1974 में यानी एक साल से भी कम अर्से में गवर्नमैट इसको दुवारा अमैंडमैंट के लिए लाई है इससे यह बात जाहिर है कि जिन सरकारी कर्मचारियो ने या जिस सरकार ने यह बिल बनाया, बनाते वक्त इस पर गौर नहीं किया कि इसका नतीजा क्या होगा । और इसका नतीजा यह हुआ तै कि हजारों रुपए छपाई पर, सरकुलेशन पर—और तैयार करने में खर्च हुए । स्पीकर साहब, इस ऐक्ट को बनाने से दूसरी बात जो नजर आती है वह यह है कि सरकार ने साहुकारों की मदद की और गरीबो के साथ ज्यादती की । आम तौर पर वही आदमी मकान बना सकता है जिसके पास फालतू पैसा हो और वही आदमी किराए पर मकान लेते है जिनके पास कम पैसे होते हैं । सरकार ने उन गरीबों से जिनके पास दस साल से कम मकान किराए पर थे, खाली कराने का ऐक्ट पास किया और इस तरह अगर खाली न हों तो किराया बढाया जाए ।

नतीजा यह हुआ कि हरियाणा प्रांत के अन्दर हजारों की तादाद में मुकद्दमे चले और कुछ आदमी जो मकान नही बना सकते उनको मकानों से हाथ धोना पड़ा । सवसे घातक बात इसमें यह थी कि मकान से देदग्बल करने या मकान का किराया बढ़ाने का अधिकार जुडिशियल मैजिसट्रेट को था, जुडिशियरी को था इस सरकार ने देखा कि वह सव जगह कामयाब गही हो सकती, जुडिशियरी या अजी का महकमा ऐसा है जहां पर सरकार की बात की सुनवाई नही होगी इसलिए वह अख्तियारात जुडिशियरी से छीनदार एस.डी. एम. सब डिविजनल आफिसर (सिविल) को दे दिए ताकि यह मन मर्जी करते रहें । हाई कोर्ट की जजमैंट के ऊपर यह सरकार अमैंडमैंट के लिए विल लाई है जिसके अनुसार जितने केसिज पैडिग हैं वे सब जुडिशियरी. को चले गए हैं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि अमैंडमैंट की कौन–सी जरूरत थी । यह बिल जो हरियाणा के अन्दर पास हुआ यह शायद हिन्दुस्तान में अजीब किस्म का बिल है जहां जुडिशियरी से पावर छीनदार एग्जैक्युटिव को दी गई है और लोगों को परेशान किया गया है इसलिए मैं इसकी मुखालफित करता हूं ।

सिचाई विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों का यह रवैया है कि कुछ न कुछ बोलना अवश्य पैं । यद्यपि इस संशोधन पर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । जिस समय यह बिल हाउस के सामने लाया गया, पास किया गया उस समय यह सारी बातें कही जा

चुकी हैं । आज कोई स्टेज इस प्रकार की बात कहने की नहीं थी । यह एक बिल्कुल टैक्नीकल संशोधन है । कुछ मामले जो सब–जज की अदालत में पडे थे उनको एस.डी.ओ. (सिविल) के पास ट्रांसफर किया जाए जिसका कि ऐक्ट में प्रोविजन है । दूसरी बात यह है कि जिनका फैसला सब–जज ने किया था उनकी अपील बजाय एग्जैक्युटिव आफिसर्ज सुनने के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वे सुन सकते है और उनका रिविजन हाई कोर्ट में हो सकता है । यह साधारण ढंग का संशोधन है और इस पर इतने लम्बे–चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं थी । इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत साधारण बात है इसको पास कर दिया जाए ।

16.00 बजे

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Development Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister (Col. Maha Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amdnement) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेशन (अमैंडमैंट) बिल, 1974

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : Sir, I beg to introduce the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill

clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the enacting formula of the Bill. The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : Sir, I beg to move—That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill, be passed. Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir,

I beg to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1974.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill

clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Irrigation and Power Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

16.10 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 18th January, 1974.)